संख्या-91/2017/1841(1)/सैंतीस-2-2017-1(25)/2017

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-23 अक्टूबर, 2017

विषयः- **प्रदेश में पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों/मेलों (मण्डल स्तर पर) के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-275/प0-2/प0आरो0मे0/2017-18, दिनांक-14.10.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गुजरात राज्य में आयोजित पशु आरोग्य मेले की भाँति प्रदेश में पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों/मेलों तथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य शिविरों/मेलों के आयोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- ज्ञातव्य हो कि उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 2012 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 205.66 लाख गौवंशीय, 306.25 लाख महिषवंशीय, 13.54 लाख भेड़, 155.86 लाख बकरी, 13.34 लाख सूकर एवं 186.68 लाख (कुक्कुट) की संख्या को आधारित करते हुये पशुपालकों को पशुचिकित्सा सेवाये उपलब्ध करायी जानी हैं। प्रदेश के 70 प्रतिशत लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन कृषकों द्वारा पशुपालन का व्यवसाय किया जाता है। प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। पशुधन का देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 09 प्रतिशत का सीधा योगदान है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश, देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है परन्तु यह अधिक दुग्ध उत्पादन प्रदेश की विशाल पशुधन संख्या मुख्यतः भैंसों के कारण है।

3- विभाग में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषकों के सर्वांगीण विकास हेतु कई लाभकारी योजनायें लागू की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशुओं में त्वरित गति से नस्ल सुधार, पशुधन बीमा, पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, जर्जर पशुचिकित्सालयों का उद्धार तथा गौशालाओं के सुदृढीकरण के साथ-साथ गोवंशीय पशुओं की रक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। गाय एवं भैंसों की उत्पादकता में वृद्धि हेतु पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों के व्यापक विकास के लिए उचित तकनीक के साथ स्वदेशी नस्लों के संरक्षण हेतु प्रयत्नशील है।

4- राज्य में कम उत्पादक गोवंशीय प्रजाति की संख्या और दूध की बढ़ती मांग के कारण राज्य में पशु प्रजनन के आधारभूत स्वरूप में विस्तार की आवश्यकता के दृष्टिगत कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को और अधिक वैज्ञानिक/प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ उक्त सुविधा किसानों के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उल्लेखनीय है कि 21 करोड़ मानव आबादी के लिए अनाज और दलहन के अलावा दूध, मांस और अंडे खाद्य सुरक्षा के पूरक के रूप में हैं। मानव आबादी में वृद्धि के साथ पशुओं के उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है। वर्तमान स्तर के मुकाबले दूध उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिये आवश्यक है कि वर्तमान पशु प्रजनन आच्छादन को बढ़ाया जाय। इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि दुधारू पशुओं में बाँझपन समस्या से ग्रसित पशुओं को समय से समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराकर दुग्ध उत्पादन में लाया जाय।

6- प्रदेश के पशुपालकों की आवश्यकता एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में (मण्डल मुख्यालय के जनपद स्तर पर) 18 पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेलों का आयोजन निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. योजना का उद्देश्यः-

- शिविर में पशु चिकित्सा, पशु प्रजनन, बधियाकरण, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, लघु शल्य चिकित्सा के साथ-साथ अनुर्वरता (बाँझपन) से ग्रसित दुधारू पशुओं की निःशुल्क चिकित्सा कर उन्हें पुनः दुग्ध उत्पादन में लाया जाना।
- कृषकों को उन्नत पशु पालन हेतु जागरूक एवं क्षमता विकास करना।
- सरकार की लाभकारी योजनाओं से अवगत कराना एवं लाभ प्राप्त करना।
- कृषकों को संतुलित पशु आहार, वर्ष भर हरे चारे के उत्पादन, समय से पशु टीकाकरण हेतु सजग होना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्वच्छ पशु प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध कराना।
- पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषकों/पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।
- मेले में आये एवं इच्छुक पशुपालकों के पशुओं को पशुधन बीमा से लाभान्वित किया जाना।

2. मेला आयोजन हेतु स्थल का चयनः-

प्रत्येक मण्डल मुख्यालय के ऐसे न्याय पंचायत, जिसमें पशुओं की संख्या सबसे अधिक हो, के किसी एक ग्राम में निम्न मानकों को ध्यान में रखते हुए वृहद पशुधन आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगाः-

- न्याय पंचायत के चिन्हित ग्राम में पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो।
- पशुओं को बांधने हेतु पर्याप्त जगह तथा पीने के पानी की उपलब्धता हो।
- ग्राम में आवागमन की उचित सुविधा एवं संपर्क मार्ग हो।
- चयनित क्षेत्र/ग्राम में अधिक से अधिक कृषक/पशुपालकों को अपने पशुओं के साथ प्रतिभाग करने में यथा संभव कम से कम दूरी तय करनी पड़े।

3. रणनीतिः-

- प्रदेश के समस्त 18 मण्डल मुख्यालय जनपदों में प्रतिवर्ष दीपावली के तत्काल बाद एक वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में **दिनांक 23 अक्टूबर, 2017** से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह से प्रदेश के समस्त मण्डल मुख्यालय जनपदों (मण्डल मुख्यालय वाराणसी को छोड़ कर जहाँ दिनांक 23 सितम्बर, 2017 को बृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जा चुका है) में वृहद पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन सामान्यतः सप्ताहान्त में शनिवार अथवा रविवार को (संलग्न सूची के अनुसार) इस प्रकार कराया जायेगा कि प्रदेश के 04 परिक्षेत्रों (जोन) में से प्रत्येक मेले के आयोजन में हर जोन की सहभागिता सम्भव हो सके। अतः दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में किसी एक जोन में, दिनांक 30 अक्टूबर, 2017, दिनांक 06 नवम्बर, 2017, दिनांक 13 नवम्बर, 2017 व दिनांक 20 नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताहान्त में 04-04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in

परिक्षेत्रों में पृथक-पृथक मेले का आयोजन किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में मेले के आयोजन की तिथियों में परिवर्तन शासन की पूर्वानुमति के उपरान्त किया जा सकेगा।

- मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले पशु आरोग्य शिविर/मेले का उद्घाटन सम्बन्धित जनपद के प्रभारी मंत्री/मा0 सांसद/मा0 पशुधन मंत्री/मा0 पशुधन राज्य मंत्री जी के द्वारा किया जायेगा।
- मेला आयोजन का समय प्रातः 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक निर्धारित है किन्तु यदि मेले में पशुओं की संख्या अधिक होती है तो मेला सांय 5.00 बजे के उपरान्त भी चलता रहेगा एवं समस्त पशुओं की चिकित्सा के उपरान्त तथा पशुपालन विभाग निदेशालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम को अवगत कराने एवं निर्देश प्राप्त होने पर ही मेला का समापन होगा।
- मेले के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पशुपालन निदेशालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम नम्बरः 0522-2740010 तथा टोल फ्री नम्बरः 1800 180 5141 है।
- प्रत्येक मेले के आयोजन से एक सप्ताह पूर्व निर्धारित स्थल/ग्राम से 0-7 कि0मी0 की परिधि में आने वाले ग्रामों में भ्रमण कर व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा नामित पशु चिकित्साधिकारियों, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं अन्य संबन्धित स्टाफ द्वारा किया जायेगा एवं इस कार्य हेतु उनकी ड्यूटी लगायी जायेगी तथा विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इसका लाइव कवरेज कराया जायेगा।
- ग्रामों के भ्रमण के समय किये जाने वाले कार्यः
  - बीमार पशुओं का चिन्हांकन एवं अभिलेखीकरण।
  - बॉझपन समस्या से ग्रसित दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - लघु शल्य चिकित्सा की आवश्यकता के अनुरूप पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - गर्भ परीक्षण हेतु दुधारू पशुओं का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण।
  - भ्रमण के समय पशुपालकों को यह भी अवगत कराना है कि मेले में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी। मेले की तिथि को ऋतु काल में आने वाले पशुओं के पशुपालकों को पशुओं के साथ प्रतिभाग कर कृत्रिम गर्भाधान कराने हेतु प्रेरित किया जाना।

  उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर अभिलेखीकृत पशुओं के पशु स्वामियों को प्रेरित किया जायेगा तथा मेले में प्रतिभाग सुनिश्चित किया जायेगा।

  उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर तैयार सूची मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- मेले से पूर्व समस्त आवश्यक औषधियों, उपकरणों अन्य सामग्रियों की ससमय व्यवस्था की जानी है।
- मेले में प्रतिभाग कर रहे कृषकों/पशुपालकों एवं उनके पशुओं का पंजीकरण मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में तथा पशु हेल्थ कार्ड में किया जाना।
- प्रस्तावित शिविर में संबन्धित पशु चिकित्साविद के साथ-साथ चार शल्य चिकित्सक, चार मादा रोग विशेषज्ञ, चार सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ, चार रोग निदान विशेषज्ञ एवं टीकाकरण/क्षेत्र का सर्वे कर बीमार जानवरों के चिन्हांकन एवं अन्य सहयोग हेतु चार पशुचिकित्सा फार्मासिस्ट, दस पशुधन प्रसार अधिकारी, दस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, विकास खण्ड में क्रियाशील पशुमित्रों की ड्यूटी लगायी जायेगी।
- मेला आयोजन की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कराया जाना।
- मेला समाप्ति के उपरान्त अवशेष औषधियों की सूची तैयार किया जाना, यदि अवशेष हों।
- मेले की अवशेष औषधियों की सूची मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा संकलित कर उसके उपयोग हेतु पशुपालन निदेशालय से पृथक से आदेश प्राप्त किया जाना होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पशुपालन, मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (गोधन) कार्यक्रम के नोडल अधिकारी तथा उप-निदेशक (मुख्यालय) उप-नोडल अधिकारी नामित है। नोडल अधिकारी द्वारा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण के साथ-साथ योजना की प्रगति से उच्चाधिकारियों को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

4. मेला आयोजन हेतु जनपद स्तरीय समितिः-

मण्डल स्तर पर मेला आयोजन हेतु आयोजन स्थल के संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जनपद स्तरीय कार्य क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति निम्नवत् होगीः-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	मण्डलीय अपर निदेश क (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग	सदस्य
4.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
5.	सामान्य प्रबन्धक (पी0सी0डी0एफ0)	सदस्य
6.	लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, मण्डलीय अपर निदेशक कार्यालय	सदस्य
7.	बायफ के जनपदीय प्रतिनिधि	सदस्य
8.	उप-मुख्य चिकित्साधिकारी (पशुधन विकास)	सदस्य संयोजक

5. समिति के दायित्वः-

- उक्त समिति मण्डलायुक्त एवं निदेशक, पशुपालन के मार्गदर्शन/अनुश्रवण के अधीन कार्य करेगी। उक्त समिति मेले के आयोजन एवं प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगी। आयोजन समिति द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री/माननीय पशुधन मंत्री/ माननीय पशुधन राज्य मंत्री, संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों, प्रगतिषील पशुपालकों के साथ-साथ प्रमुख सचिव/सचिव (जनपद प्रभारी) का नेतृत्व हेतु आंमत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
- आयोजन समिति मेले में सुरक्षा व्यवस्था, कृषकों/पशुपालकों के लिए लंच पैकेट तथा पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था (टैंकर सहित), विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य करेगी। उक्त के साथ ही साथ मेले में विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं, लाइन्स क्लब/रोटरी क्लब सदस्य, महिला समाख्या, दुग्ध उपार्जन एवं प्रसंस्करण, कृभकों, इफ्को आदि संस्थाओं का सहयोग/प्रतिभाग सुनिश्चित किया जायेगा।

6. वृहद् पशु आरोग्य मेले के आयोजन हेतु विशेष निर्देशः-

- उक्त मेले में विभिन्न बैंकर्स (नाबार्ड बैंक सहित)/लीड बैंक मैनेजर्स/बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जायेगा तथा स्टाल लगाकर उनकी विभिन्न योजनाओं से किसानों को परिचित कराते हुए उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराया जायेगा।
- मेले में ग्रामीण स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्थायी ग्रामीण टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रकाश की व्यवस्था हेतु जनरेटर बैकअप की व्यवस्था की जायेगी।
- मेले में बकरी के दूध के संग्रहण को प्रेरित करने हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार व आउटलेट आदि लगाकर उसके स्वास्थ्य लाभ से पशुपालकों को अवगत कराया जायेगा।
- मेले में प्रदेश की भौगोलिक तथा जलवायु की जोनवार स्थिति के अनुसार सफलतापूर्वक पाले जाने वाले बड़े/छोटे जानवरों के विवरण सहित एक पशुपालन साहित्य का बुकलेट, जिसमें छोटे एवं बड़े पशुओं की बीमारियों का सचित्र विवरण, बीमारियों से बचाव एवं सावधानियां, बीमारी होने पर उनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपचार से संबंधित व्यवस्था, टीकाकरण समय सारिणी, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यारोपण, सेक्स्ड सार्टेड वीर्य से मादा संतति की प्राप्ति, संतुलित आहार, वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता आदि से संबंधित विवरण हिन्दी में तथा सरल भाषा में तैयार कराकर प्रतिभागियों को वितरित कराया जायेगा।

- आयोजन समिति, मेला आयोजन का क्षण-प्रतिक्षण कार्यक्रम विवरण विकसित करते हुए आमंत्रण पत्र के साथ संलग्न कर जनप्रतिनिधियों/उच्चाधिकारियों/अन्य महानुभावों को आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
- उक्त वृहद पशु आरोग्य मेलों में संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्त एवं मेला स्थल के जनपद हेतु कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा नामित प्रभारी/नोडल अधिकारी भी उपस्थित होकर मेले के सुचारू संचालन हेतु सहयोग करेंगे।
- मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले उक्तांकित पशु आरोग्य मेलों का पर्यवेक्षणीय दायित्व इस हेतु नामित पशुधन विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी का होगा, जिसके द्वारा मेलों के आयोजन एवं सम्पूर्ण तैयारी का निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जायेगा।

7- उक्त वृहद पशु आरोग्य मेलों/शिविरों के प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) तथा संबंधित मण्डल के अपर निदेशक ग्रेड-2 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8- पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपरोक्तानुसार मण्डल स्तर पर कुल 17 पं0 दीन दयाल उपाध्याय वृहद पशु आरोग्य मेलों का आयोजन किये जाने के प्रशासकीय आदेश एतद्द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं। उक्तानुसार पशु आरोग्य मेलों/शिविरों एवं वृहद् पशु आरोग्य मेलों/शिविरों के आयोजन की वित्तीय कार्ययोजना/वित्तीय स्वीकृति विषयक आदेश वित्त विभाग की सहमति से पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

कृपया तद्नुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-91/2017/1841(2)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in